दिनांक— 26.11.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अध्यक्षता में श्री गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वीं जयंती के अवसर पर किए जा रहे विभिन्न कार्यों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनः—

भ्रमण के समय जिलाधिकारी, पटना, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, अनुमंडलाधिकारी, पटना सिटी, मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता, पर्यटन विभाग आदि पदाधिकारी व अभियंता उपस्थित थे।

1) दिनांक—21.11.2016 को निरीक्षण के क्रम में गुरूगोविन्द सिंह लिंक पथ के पश्चिम तरफ खुले नाले में काफी मात्रा में मलवा फेका हुआ पाया गया था, जिसकी सफाई कार्य प्रगति में पाया गया। पोकलेन लगाकर इस नाले के गाद की सफाई करने का निर्देश दिया गया। लिंक पथ के दोनों तरफ जमा बदबूदार काले पानी की निकासी हेतु पम्प लगाया गया था, जिसके जगह पर उच्च अश्व शक्ति का पम्प लगाकर दो दिनों के अन्दर पम्प आउट करने का निदेश दिया गया।

(अनु०—पटना नगर निगम)

2) गुरूगोविन्द सिंह लिंक पथ के पास पश्चिम खेतों में जमा पानी को पम्प से निकासी व किरोसिन तेल छिड़कने तथा पूरब की ओर जमे पानी में सिंघाड़ा की खेती किया जा रहा था, जिसके ठहरे हुए पानी को भी पम्प से निकासी व किरोसिन तेल छिड़कने का निदेश दिया गया।

(अनु०—पटना नगर निगम)

3) लिंक पथ के पश्चिम आर.ओ.बी. के तरफ कच्चा नाला देखा गया तथा कुछ भाग में नाले को भरकर उसपर गिट्टी, बालू, ईंट का स्टैकिंग कर व्यापार करते हुए देखा गया। अनुमंडलाधिकारी पटना सीटी पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, एवं कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल को अतिक्रमित भाग को मुक्त करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

(अनु०—अनुमंडलाधिकारी, पटना सिटी/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल)

4) चौक शिकारपुर के पास रेलवे ट्रैक के समानान्तर अतिक्रमित अस्थायी दुकानों को हटाने व फैले हुए कचरे/मलवे को रेल प्रशासन से सम्पर्क स्थापित कर सफाई कराने का निर्देश दिया गया। चौक शिकारपुर R.O.B के नीचे बेंडिग जोन तथा Parking हेतु चिन्हित किए जाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता प०नि०वि० एवं कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सीटी को दिया गया। चौक शिकारपुर से पश्चिम के तरफ जाने वाले सुदर्शन पथ में कोने के पास नगर निगम के स्टॉफ क्वार्टर के भू—भाग को पीछे के तरफ शिफ्ट कर रोड को एक सीध में चौड़ा करने का निदेश दिया गया। चौक शिकारपुर आर.ओ.बी. के उपर केबुल के बिखरे तार को ईरकॉन के अभियंता को व्यवस्थित कवर्ड करने का निदेश दिया गया।

(अनु०—अनुमंडलाधिकारी, पटना सिटी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल/संयुक्त महानिदेशक, ईरकॉन)

5) कार्यपालक अभियंता, प0नि0वि0 द्वारा बताया गया कि अशोक राज पंथ का नाला फूटपाथ एवं पथ निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त है तथा कार्य प्रगति पर है। समीक्षा में ज्ञात हुआ कि अशोक राजपथ के NIT मोड़ से दीदारगंज पथांश के मरम्मति हेतु स्वीकृत मदों की मात्रा कम है। अशोक राज पथ पटना का मुख्य पथ है तथा इसी पथ होकर श्रद्धालुओं का जत्था गाँधी मैदान से पटना सीटी जायेगी। अतः आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर मरम्मति कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।

(अनु०–पथ निर्माण विभाग)

6) सभी रेलवे स्टेशन के निकट फूटकर दुकानदारों के लिए जगह निर्धारित कर साइनेजेज लगाये जाने का निर्णय लिया गया। निर्देश दिया गया कि आयुक्त पटना प्रमंडल की अध्यक्षता में रेलवे स्टेशन के निकट भीड़ नियंत्रण हेतु आने–जाने का Route निर्धारित कर रेलवे तथा स्थानीय प्रशासन का अलग–अलग दायित्व का निर्धारण किया जाय।

(अनु०–जिला प्रशासन)

7) गाँधी मैदान के सभी Entry Point के slope का निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्य शीघ्र कराया जाय।

(अनु०–भवन निर्माण विभाग)

8) गुरू गोविन्द लिंक पथ के पूरब के निर्माणधीन नाले को आगे बढ़ाकर प्रथम चरण में कम से कम Under Pass बनाया जाय। इस पथ के पश्चिम तरफ वाईपास के तरफ से पूर्व के निर्मित नाले को पथ निर्माण विभाग के प्रस्तावित Under Pass तक तत्काल बनाये जाने का निर्देश दिया गया। बाद में इसका निर्माण चौंक शिकारपुर R.O.B तक कराये जाने का निर्णय लिया गया।

(अनु0–पथ निर्माण विभाग)

9) छटंकी पुल के अण्डरग्राउण्ड नाले का निरीक्षण किया गया। छटंकी पुल के उत्तर के तरफ खुले मेनहॉलनुमा नाले को पीछे शिफ्ट कर 10X10 फीट के लोहे का हिंज लगा हुआ कभर लगा दिया जाय ताकि बाद में उससे होकर सफाई किया जा सके। छटंकी पुल के दक्षिण भाग का निरीक्षण किया गया तथा पाया गया कि पूरे क्षेत्रा में कच्चा नाला अवस्थित है। जिसका डी0पी0आर0 बनाने हेतु बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया। छटंकी पुल के उत्तर के तरफ अतिक्रमित दुकान को विस्थापित कर पूरे चौड़ाई में सड़क निर्माण का भी निदेश दिया गया।

(अनु0–अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/संयुक्त महानिदेशक, ईरकॉन/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना सिटी प्रमंडल/कार्यपालक अभियंता बिहार राज्य जल पर्षद)

10) मंगल तालाब को जोड़ने वाली पथ के प्रवेश बिन्दु पर बनाये जा रहे पुलिस चौकी जो सड़क के भाग को अतिक्रमित कर रहा है, को रोकने का निदेश दिया गया तथा उसके स्थान पर अन्य जगहों का चयन करने का भी निदेश दिया गया।

(अनु0–कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल/मेला पदाधिकारी, सामाहणालय, पटना)

11) मंगल तालाब के पथवे में Checker Tiles लगाने की कार्रवाई की जा रही थी। स्टेडियम के अन्दर लगाये गए पुराने पोलों को हटाकर इस भाग में नए लगाए गए पोलों में डबल आर्म्स में एल.ई.डी. लाईट लगाने का निर्देश श्री सत्येन्द्र सिंह, कार्यपालक अभियंता, बुडको को दिया गया। साथ ही स्टेडियम के तरफ अवस्थित झाड़ियों को काटने तथा मंगल तालाब के भीतरी किनारे को साफ–सफाई करने तथा बालू से भराई कर टॉप–अप कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0– कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल/श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, बुडको)

12) मंगल तालाब के अन्दर की तरफ चारों ओर पूर्व से लगे पोल जो काला हो चुका है तथा उसमें लगे सारे भैपर लाइट खराब हो गये है, को पेन्ट करने तथा भैपर लाईट नया लगाने का निदेश दिया गया।

(अनु0– पर्यटन विभाग)

13) जोड़ा (जूता) घर के अन्दर पथवे निर्माण व समतलीकरण करने का निदेश दिया गया तथा पूरब के तरफ के गेट को चौड़ा कर उसके नीचे अवस्थित नालें को विकसित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0– श्री कृष्ण मुरानी, अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना सिटी अंचल)

14) दीरा पर पंच मंदिर गली के जंक्शन के पास गृह स्वामी के द्वारा चलाये जा रहे खटाल को बन्द करवाने हेतु अनुमंडलाधिकारी, पटना सिटी व मेला पदाधिकारी, को निदेश दिया गया।

(अनु0–अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी)

15) बाडे के लिंक गलियों में प्रोपर स्लोप, सीढ़ी/रैम्प बनाने का निदेश दिया गया।

(अनु0–कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पटना सिटी अंचल)

16) बाल लीला गुरूद्वारा पथ, हरमंदिर गली में दुकानदारों के द्वारा सड़क पर समानों का बिक्री करते देखा गया। जिलाधिकारी, पटना के द्वारा सभी के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने का निदेश दिया गया।

(अनु0– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी/कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल)

17) बाड़े की गली में नाले के ह्युम पाईप का ब्यास 2 फीट के साथ पंच मंदिर गली के जंक्शन से जोड़ा गया है। वहां पर बाड़े की गली, दरिबाबाद गली एवं कचौड़ी गली के नालें आकर मिलते हैं, जिसे 3 फीट ब्यास के ह्युम पाईप लगाने का निदेश पूर्व में दिया गया था, ताकि नाले का पानी आसानी से निकल सके। परन्तु पर्यटन विभाग के द्वारा ऐसा नहीं कर 2 फीट ब्यास का ह्यूम पाईप लगाया गया है। उन्हें सख्त हिदायत दी गयी की इसके जगह पर 3 फीट ब्यास का ह्युम पाईप लगाया जाय, क्योंकि तीन नालों का पानी इससे होकर डिस्चार्ज होना है।

(अनु0– कार्यपालक अभियंता, पर्यटन विभाग)

18) गुरूद्वारा मुख्य द्वार के सामने अशोक राज पथ पर मिश्रा जी एवं अन्य गृह स्वामी का जर्जर बरामदें को तोड़कर हटाने का निदेश दिया गया।

(अनु0– अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी/कार्यपालक पदाधिकारी, पटना सिटी अंचल)

19) पटना सिटी चौक थाना (कंगन घाट रोड) के सामने सड़क पर बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा नया बोरिंग अधिष्ठापित किया जा रहा था। पूर्व के निरीक्षण के समय बताया गया था कि समरसेबुल पम्प लगाया जाना है, परन्तु आज निरीक्षण के समय पाया गया कि ओभर हेड मोटर पम्प लगाया जा रहा है, जो सड़क यातायात को प्रभावित करेगा। स्थल पर उपस्थित बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि समरसेबुल पम्प लगाया जाय या इस अधिष्ठापित मोटर पम्प को गढ्ढ़ा कर सड़क के सतह से नीचे स्थापित करें तथा उसके उपर स्लैब ढाल दें ताकि यातायात व आवागमन प्रभावित न हो।

(अनु0–बिहार राज्य जल पर्षद)

20) कंगन घाट रोड के कोने पर नाले को गोलाई में बनाने का निर्देश दिया गया। इस स्थान पर अवस्थित विद्युत ट्रांस्फॉर्मर को नाले निर्माण के समय सुरक्षा प्रदान करने हेतु जी०एम०, पेसू को निदेश दिया गया।

(अनु0–कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/जी०एम०, पेसू)

21) कंगन घाट गुरूद्वारा से कंगनघाट जाने वाले पाथवें के पश्चिमी कोने पर खाली स्थान के आस–पास फैले गंदगी को बालू भरकर टॉप–अप करने तथा जलकुम्भी को सफाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–पर्यटन विभाग)

22) कार्यपालक पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता, पटना सिटी अंचल को निदेश दिया गया कि निर्मित/निर्माणाधीन उपरोक्त सभी गलियों में गृह स्वामियों द्वारा घर में प्रवेश हेतु अनधिकृत रूप से बनाए गये बड़े एवं चौड़े ओटों, सीढ़ी, खराब पड़े चापाकलों, पुराने टेलीफोन के पोल, गलियों के बीचों–बीच अवस्थित विद्युत पोलों को किनारे शिफ्ट करने, गलियों में अतिक्रमित किये निर्माण को मैप के अनुसार मापी कर अप्रसारण करवाने तथा अन्य प्रकार के अवरोधों को अनुमण्डलाधिकारी, पटना सिटी से समन्वय स्थापित कर दण्डाधिकारी व पुलिस बल के सहयोग से 05 दिनों के अन्दर हटाना सुनिश्चित करें ताकि गली की चौड़ाई Full length में बरकरार रहे।

30/11/2016

(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/विविध–21–59/2014 8931 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 1/12/16

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं विकास आयुक्त के आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/11/2016

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–59/2014 8931 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक– 1/12/16

प्रतिलिपिः– श्री जी०एस० कंग, अध्यक्ष, उच्च स्तरीय परामर्शदातृ समिति, राजकीय अतिथिशाला, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/11/2016

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–59/2014 8931 /न०वि०एवंआ०वि०, दिनांक– 1/12/16

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, युवा, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण/महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना, जिला/जिला पदाधिकारी, सारण/जिला पदाधिकारी, वैशाली/वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/संयुक्त महानिदेशक, इरकॉन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/11/2016

सरकार के प्रधान सचिव।